उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या : 873/आठ–3–20–06 महा0/2014
लखनऊ : दिनाँक : 05 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–54/आठ–3–18–06 महा/2014 दिनांक 08.01.2018 के द्वारा गठित शासकीय समिति को सम्यक् विचारोपरान्त एतद् द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है :–

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।	अध्यक्ष
2. विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3।	सह–अध्यक्ष
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य/संयोजक
4. मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	सदस्य
5. प्रधानाचार्य, राजकीय आर्कीटेक्चर कालेज, लखनऊ।	सदस्य
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।	सदस्य
7. सलाहकार (विकास एवं नियोजन), आवास बन्धु, उ0प्र0।	सदस्य
8. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित 02 विषय विशेषज्ञ।	सदस्य

2– समिति का यह दायित्व होगा कि एक रोस्टर बनाकर प्रत्येक डेढ़ माह में इन 60 महायोजनाओं के निर्माण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें एवं यह देखें कि महायोजना निर्माण करने वाली एजेन्सी सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क में रहते हुए उनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं तथा विभिन्न विभागों से संकलित होने वाली सूचनाएं/डेटा उन्हें समय से प्राप्त हो रहे हैं एवं नियमानुसार/दिशा निर्देशों के अनुसार ससमय महायोजनाओं के निर्माण का कार्य हो रहा है।

3– समिति द्वारा अपनी समीक्षा आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या : 873(1)/आठ–3–20–06 महा/2014–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के अध्यक्ष/सह–अध्यक्ष/सदस्यगण।
2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय–ज्ञाप को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधित को अपने स्तर से तामील कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

GENERAL UO/2020-KP